संख्या 31011/31/86-स्था0(क)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत-मूल निवास स्थान के लिए दो वर्ष की अवधि में (ब्लाक में) एक बार छुट्टी यात्रा रियायत, में संशोधन ।

इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/2/84-स्था0(क) (प्रतिलिपि संलग्न) के पैरा 3 के संदर्भ में एक संदेह उठाया गया है कि क्या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/संबंधित राज्य सरकार की स्वीकृति से नियमित परिवहन सेवा के रूप में चलाई जा रही निजी बसों (निजी चार्टरड बसों से जो भिन्न हैं) से यात्रा करना, छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन से अनुमत है ।

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 11-7-85 से, छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन से, केवल निम्नलिखित वर्गों के वाहनों से की गई यात्रा मान्य नहीं है ।

(क) निजी चार्टरड वाहन इनमें निजी पार्टियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगमों अथवा राज्य परिवहन निगम अथवा स्थानीय निकायों के परिवहन उपक्रमों से किराए पर लेकर चार्टर पर चलाए जा रहे वाहन भी शामिल हैं; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों द्वारा, अपने निजी या ऋण पर या किराए पर लिए गए वाहन ।

तथापि, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/संबंधित राज्य सरकार की स्वीकृति से निर्धारित किराए की दरों पर नियमित अन्तराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए नियमित परिवहन सेवा के रूप में चलाई जा रही निजी बसों से की जाने वाली यात्रा को, इस विभाग के दिनांक 11-7-85 के ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 के अर्थ के भीतर, निजी चार्टरड बसों द्वारा की गई यात्रा के रूप में नहीं माना जाएगा ।

3. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों का संबंध है; इन आदेशों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

ह0/अपठनीय
(ह0 ...)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)